ISSUE-07 / Vol.-24 / June, 2019

ISSN NO. 2319-5908

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Quarterly Journal

SHODH SANDARSH

शोध संदर्श

Education, Literatura, History, Art, Culture, Science, Commerce etc.

Patron

Prof. (Dr.) A.P. Ojha
Head.
Deptt. of AIHC & Archaeology
Allahabad Central University, Allahabad

Prof. R.P. Tripathi
Ex. Head.
Deptt. of AIHC & Archaeology
Allahabad Central University, Allahabad

Chief Editor

Dr. Vimlesh Kumar Pandey
Associate Professor
P.G.. Deptt. of AIHC & Archaeology
S.B.P G. College, Badlapur Jaunpur

Editors

Prof. Sushaim Bedi
Deptt. of Hindi
Colambia University USA

Dr. Vijay Pratap Tiwari

Dr. Vijay Kumar Mishra

Co-editor

Nar Narayan "Shastri"

Editorial Managerable Office

Vijay Pratap Tiwari
539-A, Bukhshi Khurd, Daraganj, Prayagraj-211006
Email : shodhsandarshalld@gmail.com
Website : www.shodhsandarsh.com
Mobile : 09415627149, 09450586526, 09015465436

Publisher & Printer

Vagisha Prakashan, Old Jhunsi, Kohna, Jhunsi, Prayagraj
Email : vijaykumarmishra1976@gmail.com

- **बौद्ध धर्म में निहित शैक्षिक विचारों का अध्ययन : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में**–*पवन कुमार* 282-284
- **माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची बुद्धिमता, स्व-आत्मविश्वास व कौटुंबिक वातावरण यांचा व्यक्तिमत्वावर होणारा परिणाम**–*प्रा. मोरे वनिता अरुण* 285-287
- **A Study on the Mentality of Previous Generation Women Towards Female Young Aspirant Mind**–*Madhu Chaubey* 289-290
- **Apps in Formative Assessment Make You a Better Teacher**–*Dr. John M Zamen* 291-297
- **Impact of Western Culture on Indian Environment with Special Reference to Uttar Pradesh**–*Ms. Kavita Sharma* 298-301

Politics

- **जलवायु परिवर्तन एवं सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति**–*शिखा मौर्या* 302-305
- **तराई क्षेत्र : भारत–नेपाल संबंधों का सेतु**–*अमित कुमार पाण्डेय* 306-310
- **राज्यों के बीच सामाजिक–आर्थिक विषमताएं और भारतीय संघवाद**–*डॉ. जयकुमार मिश्र* 311-319
- **अरविन्द घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद**–*मनोज कुमार वर्मा* 320-322
- **महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका**–*डॉ. श्रीमती सुनीला एक्का* 323-324
- **भारत में स्थानीय शासन का विकास एवं स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था**–*डॉ. आशा यादव* 325-329
- **जय प्रकाश नारायण का सर्वोदय चिंतन**–*डॉ. अनुज कुमार मिश्रा* 330-333
- ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ – ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ – ***Dr. Veerabhadra*** 334-346
- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ***Sashi Kumar*** 347-355

Geography

- **तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण दशाएँ**–*डॉ. संजय कुमार सिंह* 356-361
- **भारत में जल प्रबंधन : चुनौतियाँ और समाधान**–*डॉ. एस.पी. सिंह* 362-366
- **विकास खण्ड-बक्शा (जनपद जौनपुर) में भूमि उपयोग का वितरण प्रारूप** –*विजय लक्ष्मी सिंह एवं डॉ. प्रदीप कुमार सिंह* 367-372
- **बदलापुर विकासखण्ड में औद्योगिक विकास के आयाम**–*डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह* 373-376
- **Major Problems Of Agriculture And Spatial Planning For Agricultural Development of Jaunpur District , U.P.**–*Dr. Vineet Narain Dubey* 377-382
- **नवीन प्रौद्योगिकी का कृषि उत्पादकता पर प्रभाव : जनपद गोण्डा का एक भौगोलिक विश्लेषण**–*डॉ. (श्रीमती) पुष्पा सिंह एवं अखण्ड प्रताप पाल* 383-387
- **तहसील बदलापुर की वैश्विक ऊर्जा एवं जलवायु का प्रभाव**–*डॉ. प्रियम सिंह* 388-391
- **लोकसभा चुनाव 2014 में मत न देने वाले निर्वाचकों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप : उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक विश्लेषण**–*डॉ. संजय कुमार सिंह एवं जयप्रकाश* 392-396
- **जनपद हरदोई में भूमि उपयोग का स्थानिक वितरण प्रतिरूप**–*डॉ. संजय कुमार सिंह एवं निशात फातिमा* 397-401
- **सई नदी प्रदूषण : कारण एवं निवारण**–*नीरज कुमार पटेल एवं डॉ. जय प्रकाश यादव* 402-406

Economics

- **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार : एक दृष्टि**–*योगेन्द्र कुमार* 407-409
- **लोहा एवं इस्पात उद्योग की देश के विकास में महत्ता एवं वर्तमान चुनौतियाँ : एक विश्लेषण**-*बिद्याधर वर्मा* 410-413
- **कृषि के विकास में कृषि योजनाओं का योगदान**–*निशि कुमार* 414-415
- **औद्योगिक सम्बन्ध-एक अध्ययन**–*अनूप कुमार सिंह*

(U.G.C. Approved Journal No. : 41329)

ISSN No. - 2319-5908

Politics : Shodh Sandarsh-VII, Vol.-XXIV, June 2019, Page 311--319

General Impact Factor : 1.7276, Scientific Journal Impact Factor : 6.756

राज्यों के बीच सामाजिक–आर्थिक विषमताएं और भारतीय संघवाद

*डॉ. जयकुमार मिश्र**

भारतीय संविधान मूल रूप से एक संघात्मक संविधान की स्थापना करता है लेकिन संविधान निर्माताओं के 'फेडरल' शब्द के स्थान पर 'यूनियन'[1] (अनुच्छेद 1) शब्द का प्रयोग किया है, इसके अपने निहितार्थ हैं। अम्बेडकर ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था कि, 'भारत का संघ, इकाई राज्यों के बीच हुए किसी समझौते से नहीं बना है और न ही किसी भी इकाई राज्य को भारत संघ में शामिल होने के बाद इससे अलग होने का अधिकार होगा।[2] संविधान में वर्णित केन्द्र राज्य सम्बन्धों का विश्लेषण करने और भारतीय संघवाद के राजनीतिक विकास का अध्ययन करने पर विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने तरीके से भारतीय संघवाद पर टिप्पणी की है। के0सी0 व्हेयर ने भारतीय संघवाद को 'आभासी संघवाद' कहा तो डी0डी0 बसु ने 'एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघवाद' माना, तो मॉरिस जोन्स ने इसे 'सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था' कहा और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे 'सहयोगी संघवाद' कहकर समादृत किया। भारतीय संघवाद में राज्यों को शासन की स्वायत्तता तो दी गयी है लेकिन राज्यों के भौगोलिक अखण्डता की कोई भी स्थाई प्रत्याभूति संविधान द्वारा नहीं दी गयी है।[3] राज्यों में जनता द्वारा स्थानीय सरकार के निर्वाचन का उपबंध तो है लेकिन राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में केन्द्र द्वारा नियुक्त 'राज्यपाल' का प्रावधान है। राज्यों ने समय-समय पर कभी भाषा के नाम पर तो कभी क्षेत्र के नाम पर तो कभी वित्तीय मामलों पर केन्द्र की संवैधानिक रूप से 'सुपर-गार्जियन' जैसी भूमिकाओं पर प्रश्न उठाया है और क्षेत्रीय निष्ठा के नाम पर स्वायत्तता की माँग की है लेकिन यह एक सुखद संयोग है कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपनी आस्था 'भारतीय' होने में बनाए रखा और अपने प्रदेश या क्षेत्र के प्रति उनकी आस्था एक 'उप-आस्था' के रूप में ढलती चली गयी, यद्यपि यह इतना आसान कभी नहीं रहा। भारत में इकाई राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं, भाषा-संस्कृति एवं विशिष्ट पहिचान को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही सक्रिय हो गए। राज्यों को एक भ्रम तो अवश्य था कि कहीं हमारी भाषा और संस्कृति एक वृहत्तर भारत संघ द्वारा आक्रान्त न हो जाय, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद से ही जब भारत सरकार ने हिन्दी भाषा को पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया तो तमिलनाडु, आन्ध्रा और पंजाब जैसे राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया, आगे चलकर केन्द्र को भाषा के आधार पर राज्यों का पुर्नगठन करना पड़ा और अंग्रेजी को हिन्दी की जगह केन्द्र एवं राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा के रूप में स्वीकार करना पड़ा। वस्तुतः धर्म निरपेक्षता के नाम पर जैसी सर्वसहमति बनायी गई थी वैसी सहमति भाषा के नाम पर कभी भी देखने को नहीं मिली। 2011 की जनगणना के आँकड़ों के प्रकाशित होने के बाद एक बात तो स्पष्ट रूप से देखने को मिली है कि हमारी कुछ जनसंख्या में हिन्दी भाषा-भाषी व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, देखें सारणी -1

सारणी-1

राज्य	भाषा	भाषा बोलने वालों का कुल जनसंख्या के अनुपात में औसत प्रतिशत वर्ष		
		1991	2001	2011
महाराष्ट्र	मराठी	7.45	6.99	6.86
आन्ध्र प्रदेश	तेलुगु	7.87	7.19	6.70

* राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ जौनपुर (उ0प्र0)

तमिलनाडु	तमिल	6.32	5.91	5.70
कर्नाटक	कन्नड़	3.91	3.69	3.61
केरल	मलयालम	3.62	3.21	2.88
सभी 'बीमारू' राज्य और उनके बँटवारे के बाद बने नए राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	हिन्दू	39.29	41.03	43.63

इससे सिद्ध होता है कि, देश में क्षेत्रीय भाषओं को अपनी मूल भाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या जहाँ कम होती जा रही है, वहीं हिन्दी भाषा-भाषी लोग बढ़े हैं। आवागमन के साधनों और राज्यों के बीच पारस्परिक व्यापार आदि की वृद्धि ने और जनता द्वारा दूसरे प्रदेशों में जाकर कमाने-खाने से लेकर बसने तक की प्रवृत्तियों ने देश में भाषायी कट्टरता समाप्त करने में मदद की। इससे भारत के भीतर 'आन्तरिक बहुलवाद' को प्रोत्साहन मिला है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी रहा कि, केन्द्र सरकार के संघात्मक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण देश में एक समान विकास को साध्य मानकर काम करने की संवैधानिक-राजनीतिक संस्कृति का विकास किया। वित्त आयोग द्वारा केन्द्र एवं राज्यों के बीच धन का बँटवारा हो, या योजना आयोग द्वारा राज्यों को योजना सम्बन्धी सहायता हो या गैर योजनागत व्यय की पूर्ति के लिए धन का आवंटन हो, स्वतंत्रता के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्यों को मदद देकर उन्हें आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम प्रारम्भ कर दिया और यह क्रम आज भी जारी है, लेकिन इन सबके बाद भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने वाले राज्यों की संख्या बहुत अधिक नीं बढ़ सकी है। उत्तर भारत के राज्य जिन्हें आशीष बोस ने 'बीमारू'[4] कहा है, 1960-2007 के बीच उनके विकास की तुलना यदि हम दक्षिण भारत के राज्यों के आर्थिक विकास से करें तो ज्ञात होगा कि, इस समयावधि में दक्षिण भारत के राज्यों के विकास दर का प्रति वर्ष औसत निरन्तर बढ़ता चला गया है। इन स्थितियों में हमारे संघवाद में राज्यों के बीच विकास सम्बन्धी असमानता बढ़ती चली गयी।[5] देखें सारण-2

सारणी-2

उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में आर्थिक विकास दर 1960-2007 (हल साल के हिसाब से प्रतिशत)

राज्य	1960-1980	1981-2007
बिहार	2.7	4.4
मध्य प्रदेश	2.6	4.2
राजस्थान	2.9	5.6
उत्तर प्रदेश	2.8	4.5
आन्ध प्रदेश	3.1	6.0
कर्नाटक	3.7	5.8
केरल	3.1	5.6
तमिलनाडु	2.3	5.7

राज्यों के विकास के लिए यद्यपि भारतीय संघवाद में अनेक संवैधानिक-संस्थात्मक प्रावधान हैं, इनमें से एक वित्त आयोग (अनु0 280) भी है, जो केन्द्र और राज्यों के बीच प्राप्त करों का बँटवारा करता है। यदि भारतीय संघीय व्यवस्था में करों के एकत्र करने में राज्यों की सहभागिता और उस सम्पूर्ण करों के पुल से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को तुलना की जाय तो एक गंभीर असंतुलन दिखायी देता है और इस सम्बन्ध में राज्यों की अपनी-अपनी गंभीर शिकायतें भी हैं। सी0बी0डी0टी0

के एक आँकड़े (2016-17) के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु जितना कर और राजस्व केन्द्र सरकार को देते हैं उसका केवल 30 प्रतिशत ही उन्हें केन्द्रीय अनुदान से प्राप्त होता है, जबकि उत्तर प्रदेश से केन्द्र को मिलने वाले कुल राजस्व एवं करों का 200 प्रतिशत और बिहार से केन्द्र को मिलने वाले कुल राजस्व एवं करों का 150 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। इसे लेकर दक्षिण भारत के विकसित राज्य प्रायः आपत्ति में महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु की कम जनसंख्या वाले राज्यों को केन्द्र से प्राप्त अनुदान की तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि, भारत के धनी राज्यों की तुलना में 'बीमारू' जैसे गरीब राज्यों को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय अनुदान बहुत कम मिलता है लेकिन इनका केन्द्रीय सरकार को दिया जाने वाला योगदान भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से बहुत कम ही होता है उदाहरणार्थ-एक औसत महाराष्ट्रीयन रु. 33000 और गुजरात या तमिलनाडु या कर्नाटक का प्रत्येक व्यक्ति औसतन रु 20000/केन्द्र सरकार को देता है जबकि उत्तर प्रदेश प्रत्येक व्यक्ति केन्द्र सरकार को रु. 7000 देता है। वास्तविकता तो यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश मिलकर भारत सरकार को प्राप्त राजस्व एवं करों की सम्पूर्ण राशि का संयुक्त रूप से आधा से अधिक दे देते हैं लेकिन वे केन्द्र से बहुत कम प्राप्त करते रहे हैं।

भारतीय संघवाद में करों की राशि के वितरण को लेकर भी प्रायः विवाद होते रहे हैं और इन विवादों ने 15वें वित्त आयोग के उस प्रस्ताव के बाद तीव्रता प्राप्त कर ली जिसमें राज्यों को केन्द्र से हस्तांतरित करों के वितरण का आधार 2011 की जनगणना के आँकड़ों को मानने की बात कही गयी है, जबकि अब तक 1971 की जनगणना के आँकड़ों को आधार माना जाता रहा है। मार्च 2018 में चन्द्राबाबू नायडू ने एक बैठक के दौरान आरोप लगाया कि, 'दक्षिण के राज्यों से मिलने वाले करों का एक बड़ा भाग उत्तर के राज्यों को इस आधार पर हस्तांतरित किया जा रहा है कि उनकी जनसंख्या अधिक है, कर न तो केन्द्र की सम्पत्ति है और न ही राज्यों की यह तो करदाताओं द्वारा दिया गया धन है।' उनके कहने का तात्पर्य यह है कि, जिस राज्य से केन्द्र को अधिक कर एवं राजस्व मिल रहा है, उसे केन्द्रीय करों में अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। वस्तुतः 1971 और 2011 के बीच उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है जबकि इसी समयावधि में दक्षिण के राज्यों ने आर्थिक विकास के साथ ही साथ सामाजिक विकास के विभिन्न मापदण्डों पर सकारात्मक एवं प्रगतिशील कदम उठाते हुए अपने-अपने राज्यों की जनसंख्या को रोकने के लिए उल्लेखनीय काम किया है लेकिन जैसे ही वित्त आयोग ने संसाधनों एवं करों के वितरण के लिए राज्य की जनसंख्या को आधार बनाया, दक्षिण के राज्यों ने आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया। इस संदर्भ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाले कुल करों का 9.56 प्रतिशत अकेले कर्नाटक देता है जबकि उसे केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले कुल धन में से केवल 4.50 प्रतिशत ही प्राप्त होता है, इसी बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के० चन्द्रशेखर राव ने कहा कि, तेलंगाना ने 2017 में केन्द्र सरकर को 50013 करोड़ रु० करों के रूप में दिए जबकि उसे केन्द्र सरकार से केवल 24561 करोड़ रु. ही प्राप्त हुए। जनसंख्या को आधार बनाते हुए करों के वितरण की इस प्रणाली को दक्षिण के राज्यों ने 'संघवाद में असंतुलन' बताया है। दक्षिण भारत के राज्यों का मानना है कि उत्तर भारत के राज्य अधिक जनसंख्या के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनते चले गए और इसके कारण वहाँ के क्षेत्रीय दल गठबंधन सरकारों के युग में केन्द्र सरकार को समर्थन देने के बदले किसानों के ऋण माफ करने जैसी लोक-लुभावनी योजनाओं को आसानी से क्रियान्वित कराने में सफल होते रहे हैं। केन्द्र सरकारें उत्तर भारत के राज्यों की उनकी अनियंत्रित जनसंख्या की आड़ लेकर उनकी खुलकर वित्तीय मदद करती रही हैं जबकि इसके पीछे वास्तविक कारण उनके राजनीतिक वर्चस्व की स्वीकार्यता है। दक्षिण भारत के राज्य 'संघवाद' के उस सिद्धान्त का तर्क देते हैं जिसमें माना जाता है कि किसी संघवाद व्यवस्था में केन्द्र को सभी इकाई राज्यों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए क्योंकि सभी राज्य एक समान संवैधानिक स्थिति और शक्ति रखते हैं, जबकि केन्द्र की स्थिति उस पिता की तरह होती है जो अपने विकलांग बच्चे को अधिक पौष्टिक भोजन देकर उसे शारीरिक मजबूती देना चाहता है, भले ही इसके लिए अपने कुछ स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट बच्चों के भोजन में कटौती ही क्यों ना करना पड़े।

वस्तुतः भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच विकास की खाई धीरे-धीरे बढ़ी है। 1950-1980 के बीच भारत की सकल विकास दर औसतन 3.5 प्रतिशत रही है जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्णा ने 'हिन्दू वृद्धि दर' कहा है, जबकि इसी अवधि

 [ISSN : 2319-

भी उत्तर भारत के 'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्यों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है और 'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्यों का औसत राष्ट्रीय औसत इसके विपरीत है, **देखें सारणी 6 क और ख-**

सारणी-6 : क

दक्षिण भारत के राज्य	लिंगानुपात	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि
आन्ध्र प्रदेश	993	11.0
कर्नाटक	773	15.6
तमिलनाडु	996	15.6
महाराष्ट्र	929	16.0
गुजरात	919	19.3
भारत	943	17.7

सारणी-6 : ख

'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्य	लिंगानुपात	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि
उत्तराखण्ड	963	18.8
ओड़ीसा	979	14.0
छत्तीसगढ़	991	22.6
मध्यप्रदेश	931	20.3
उत्तर प्रदेश	912	20.2
झारखण्ड	948	22.4
राजस्थान	928	21.3
बिहार	918	25.4
भारत	**943**	**17.7**

इसी प्रकार की भारी विषमता बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर के संदर्भ में भी दिखायी देती है जहाँ दक्षिण भारत के राज उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक अच्छा प्रदर्शन किया है, देखें सारणी 7क और 7ख-

सारणी-7 : क

2016 के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धी असमानताओं की तुलना

दक्षिण भारत के राज्य	बाल मृत्यु दर[6]	मातृत्व मृत्यु दर[7]
आन्ध्रप्रदेश	34.0	74.0
गुजरात	30.0	91.0
कर्नाटक	24.0	108.0
महाराष्ट्र	19.0	61.0
तमिलनाडु	17.0	66.0
भारत	**38.0**	**130.0**

 [ISSN : 2319-5908]

सारणी-7 : ख

'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्य	बाल मृत्यु दर	मातृत्व मृत्यु दर
बिहार और झारखण्ड	79.0	165.0
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़	100.0	173.0
ओड़ीसा	44.0	180.0
राजस्थान	47.0	199.0
उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड	88.0	201.0
भारत	**38.0**	**130.0**

उपरोक्त आँकड़े यह बताते हैं कि, परिवार-कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों का जितना बेहतर ढंग से क्रियान्वयन दक्षिण के राज्यों ने किया है उतना 'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्यों में नहीं हो सका है।

दक्षिण भारत के राज्यों तथा 'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्यों के बीच विभिन्न सामाजिक मापदण्डों के आधार पर गहरी खाई तो है ही, आर्थिक आधार पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण विसंगति एवं विषमताएं देखने को मिल रही हैं और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने इस खाई को और भी अधिक बढ़ा दिया है। यदि हम भारत में होने वाले विदेशी पूँजी निवेश के आँकड़ों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि पूरे भारत में होने वाले सम्पूर्ण निवेश का 50-60 प्रतिशत अकेले उन राज्यों में चला जाता है जिन्हें इस पूरे विवरण में 'दक्षिण के राज्य' कहा गया है, जबकि 'बीमारू' और सम्बद्ध राज्यों में विदेशी पूंजी निवेश की गति बहुत कम है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने औद्योगीकरण एवं व्यापार को प्रोत्साहन देकर वहाँ रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। वस्तुतः दक्षिण भारत के राज्यों ने कृषि और उद्योगों को साथ-साथ लाकर सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, जबकि 'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्य कृषि एवं उद्योगों के बीच कोई भी उत्पादक समीकरण बनाकर औद्योगिक विकास की रेखा खींचने में असफल रहे। इसके अतिरिक्त सड़क, बिजली, पानी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जन-सुविधाओं की अनदेखी जितनी उत्तर भारत के राज्यों में हुई उतनी दक्षिण के राज्यों में नहीं हुई। जो उत्तर भारत के 'बीमारू' राज्यों की कमजोरी थी वही दक्षिण के राज्यों की मजबूती बनकर उभर गयी। दक्षिण भारत के राज्यों के दम पर ही हम भारत को विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सफल हो सके हैं और इसी औद्योगिक विकास के कारण विश्व के चौथे सर्वाधिक अरबपति भारत से ही हैं, इसके साथ ही यह बात भी आश्चर्यजनक रूप से उल्लेख्य है कि विश्व के सर्वाधिक गरीब भी भारत में ही हैं। इस संदर्भ में हम अमर्त्य सेन की उस टिप्पणी को न्यायसंगत ठहरा सकते हैं कि 'भारत को आधा कैलीफोर्निया और आधा सब-सहारा-अफ्रीका बनने में अधिक समय नहीं है।' भारत के राज्यों के बीच निरन्तर बढ़ती हुई असमानताओं ने भारत की संघवादी व्यवस्था के भविष्य पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। वस्तुतः भारतीय संघवाद के भविष्य और अस्तित्व के लिए सभी इकाई राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विकास सम्बन्धी असमानताओं को न्यूनतम करने की तत्काल आवश्यकता है अन्यथा गरीब और पिछड़े राज्यों से ('बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्य) रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन की बढ़ती घटनाएँ विषमताओं के साथ-साथ नए तनावों एवं टकरावों को जन्म देंगी। मुम्बई से उत्तर भारतीयों को भगाने की घटनाएं इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं। यदि 'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्य स्वयं अपने यहाँ कृषि एवं उद्योगों को संयुक्त एवं सम्मिलित रूप से प्रोत्साहन देकर आधारभूत सुविधाओं का व्यापक नेटवर्क विकसित करें तो इस पलायन एवं तद्जनित तनावों को रोका जा सकता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि 'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्य पूरे देश में एक मजबूत राजनीतिक ताकत रखते हुए भी 'आर्थिक ताकत' क्यों नहीं बन पाए और विकास के सामाजिक मापदण्डों पर दृढ़ता से खड़े क्यों नहीं हो पाए? इसके पीछे एक बड़ा कारण इन राज्यों की राजनीतिक पृष्ठभूमि में है, जातिगत समीकरणों के आधार पर चुने जाने वाले राजनीतिक नेतृत्वकर्त्ताओं के पास विकास की कोई सुनिश्चित दृष्टि और रणनीति ही नहीं थी, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में राजनीतिक स्थितियों और सामाजिक समीकरणों में परिवर्तन हुआ है और सरकारों की कार्य-संस्कृति में भी बदलाव आया है, इससे 'विकास' सम्पूर्ण राजनीतिक तंत्र के केन्द्रबिन्दु में आ गया है। यदि हम पिछले एक दशक के आँकड़ों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि, 'बीमारू' एवं सम्बद्ध

राज्यों के प्रति व्यक्ति आय, सकल राज्य उत्पाद, वृद्धि दर और भारत के सम्पूर्ण निर्यात में इन राज्यों की सहभागिता निरन्तर बढ़ती जा रही है और ये राज्य अब विदेशी पूँजी निवेश को आकृष्ट करने में भी काफी सफल हो रहे हैं वस्तुतः ये राज्य अब एक ऐसी संक्रमण कालीन स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ वे अपने ऊपर लगे पिछड़ेपन, गरीबी और 'बीमारू' के दाग को धो सकते हैं। उनके इस प्रयास को केन्द्र सरकार की ओर से समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए। इसके लिए उठाए जाने वाले प्रमुख कदम इस प्रकार होने चाहिए-

इन राज्यों में लगने वाले उद्योगों को केन्द्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख करों के संदर्भ में 'टैक्स हॉलीडे' देना चाहिए, आयकर एवं उत्पाद कर में छूट मिलनी चाहिए और इसके साथ ही केन्द्र से राज्यों को मिलने वाले करों का एक बड़ा हिस्सा इन राज्यों को हस्तांतरित करना चाहिए (और यह वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दिए गए 42 प्रतिशत के अतिरिक्त हो), बिजली-पानी की दरें भी कम रखी जायें और यहाँ लगने वाले उद्योगों को आसान एवं दीर्घावधि की ऋण सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने 2003 में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमांचल प्रदेश में लगने वाले उद्योगों को उत्पाद कर एवं आयकर में छूट का प्रावधान किया और जिस प्रकार सिक्किम को नार्थ ईस्ट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अन्तर्गत सिक्किम में लगने वाले उद्योगों पर से करों का बोझ बहुत कम कर दिया, ठीक उसी प्रकार से औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए 'बीमारू' एवं सम्बद्ध राज्यों में भी सार्थक पहल करने की आवश्यकता है। उद्योगों को लगाने के लिए 'सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स स्कीम' लागू होनी चाहिए जिससे अफसरशाही को समाप्त किया जा सके। इन राज्यों में सड़क, बिजली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया जाय और कृषि एवं उद्योगों के बीच एक मजबूत सम्बन्धों का विकास किया जाय जिससे कि लोग अपने उत्पादों की अच्छी कीमत प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम 'एक जिला एक उत्पाद' (वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडक्शन अर्थात ओ0डी0ओ0पी0) ने परम्परागत और स्थानीय उत्पादों को तकनीकी विकास से जोड़ने एवं उसे बाजार उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया है, वह महत्वपूर्ण है, इसका एक सबल पक्ष यह भी है कि परम्परागत और स्थानीय उत्पाद अब आधुनिक मशीनों के माध्यम से नयी रूप-सज्जा के साथ अपना एक वैश्विक बाजार बना सकेंगे, इससे जहाँ एक ओर नए रोजगारों का सृजन होगा वहीं दूसरे राज्यों में जाकर कमाने की प्रवृत्ति (रोजगार के लिए पलायन) पर भी रोक लगेगी। इन उत्पाद केन्द्रों को पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा। इससे स्थानीय उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडेक्स नम्बर (जी.एस.टी.) प्राप्त कर अपनी वैश्विक छवि बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में 250 करोड़ रु. का प्रबन्ध किया है। जो लोग इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन की इकाईयाँ लगाएंगे उन्हें न केवल बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा, वरन यदि वह ऋण की राशि को समय से चुका देते हैं तो उन्हें 25 प्रतिशत की और छूट ब्याज में मिलेगी। इससे राज्य के निर्यात में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। वैश्वीकरण के इस युग में भारतीय संघात्मक व्यवस्था विदेशी पूँजी निवेश के संदर्भ में 'प्रतिस्पर्द्धी संघवाद' में बदलती जा रही है क्योंकि अब राज्य आपस में ही इस बात की प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं कि अन्य राज्यों में होने वाले पूँजी निवेश को अपने राज्य में खींच लाया जाय, इसके लिए वे आपस में ही बेहतर औद्योगिक परिस्थितियों, आधारभूत ढाँचों, करों में छूट आदि को लेकर नए-नए दावे कर रहे हैं। इससे राज्यों के वित्तीय कोष पर दबाव बढ़ने लगा है, अब उन्हें आधारभूत ढाँचे के विकास और रखरखाव पर पहले से अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है, इसके लिए उन्हें सस्ते और वापसी योग्य ऋणों की अभिनव आवश्यकता पड़ रही है। ऐसी स्थिति में यह प्रावधान अब आवश्यक प्रतीत होता है कि, जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और बाजार की क्षमताओं एवं भविष्य को देखते हुए रेटिंग करती है और विभिन्न वैश्विक एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने का यह एक बड़ा आधार होता है, ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनायी जाय जो राज्यों की अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, औद्योगिक दशाओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए राज्यों को अलग-अलग रेटिंग प्रदान करें और इस आधार पर राज्यों को बाजार से या राज्य के बाहर की वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाय। इससे उन्हें आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए ऋण मिल सकेगा और प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी रेटिंग सुधारने का प्रयास भी करेगा, इससे राज्यों का राजकोषीय अनुशासन भी बढ़ेगा और लोक-लुभावने नारों के आधार पर सत्ता में अपने पर रोक लगेगी। 'मेक इन इण्डिया' के ही आधार पर 'मेक इन ऑवर स्टेट' जैसे प्रोत्साहन भरे प्रतिस्पर्द्धी कार्यक्रमों के प्रचलन की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि एक समुन्नत और समृद्ध औद्योगिक वातावरण का सृजन करके भारतीय संघ के विभिन्न इकाई राज्यों के बीच जो सामाजिक-आर्थिक विषमता है उसे समाप्त किया जा सके।

संदर्भ-सूची

1. अनु. 1, भारत राज्यों का एक संघ होगा।
2. सी.ए.डी. पृष्ठ 43
3. अनु. 3 नए राज्यों के निर्माण एवं पुराने राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति
4. आशीष बोस ने इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लिखे एक पत्र में किया था। इसमें बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल थे, लेकिन उपरोक्त विश्लेषण में छत्तीसगढ़ झारखण्ड, उत्तराखण्ड और ओड़ीसा को भी शामिल किया गया है।
5. आशुतोष वार्ष्णेय, 'अधूरी जीत-भारत का अप्रत्याशित लोकतंत्र, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत, 2013, पृ0 206
6. बाल मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित बच्चों पर गणनीय होता है।
7. मातृत्व मृत्यु दर जन्म देने वाली प्रति एक लाख माताओं पर गणनीय होता है।

* * * * *